

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1748

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन

1748. डॉ. सत्यनारायण जटिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत उत्पादन एवं मांग-पूर्ति की स्थिति क्या है और वर्तमान समय में देश में कुल बिजली उत्पादन के स्रोतों और उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) कार्बन मुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता में किस-किस स्रोत से आगामी दस वर्षों में कितनी-कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा तत्संबंधी किये गये उपाय क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान वर्ष 2017-18 (नवंबर, 2017 तक) के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन में स्रोतवार विद्युत उत्पादन और उनकी क्षमता का ब्यौरा और देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन और बायोमास सहित) मुख्य स्रोत हैं जिनमें आगामी 10 वर्षों में कार्बन मुक्त विद्युत का उत्पादन किया जाएगा।

विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसरहित क्रियाकलाप है और किसी उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का निर्णय संबंधित उत्पादक द्वारा मांग के मूल्यांकन पर आधारित होता है। अतः अगले 10 वर्षों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन करने के लिए 2022 तक 175 गीगावाट वाली नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संस्थापित विद्युत क्षमता का संचयी लक्ष्य निर्धारित किया है।

अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा निम्नवत् है:

- i. संस्थापित विद्युत क्षमता आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के संचयी लक्ष्य 175 गीगावाट की घोषणा की गई जिसमें सोलर से 100 गीगावाट का लक्ष्य तथा पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट का लक्ष्य शामिल है।
- ii. प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौर और पवन विद्युत की प्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- iii. वर्ष 2018-19 तक घोषित नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) घोषित किए गए।
- iv. नए कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल संयंत्रों पर नवीकरणीय उत्पादन दायित्व घोषित करना।
- v. अधिसूचित राष्ट्रीय ऑफशोर पवन ऊर्जा नीति।
- vi. पवन विद्युत परियोजनाओं की पुनःसशक्तिकरण (रिपावरिंग) के लिए अधिसूचित नीति।
- vii. सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली डिवाइस के उपयोग के लिए अधिसूचित मानक।
- viii. क्रमशः दिसंबर, 2019 और मार्च, 2019 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत अंतर्राज्यीय विक्रय के लिए अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्कों तथा हानियों में छूट देने के लिए आदेश जारी किया।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 02.01.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1748 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

चालू वर्ष 2017-18 (नवंबर, 2017 तक\*) के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन में स्रोत-वार उत्पादन और क्षमता

श्रेणी	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन* (एमयू)
थर्मल	218959.51	680976.23
न्यूक्लियर	6780.00	23752.58
हाइड्रो	44963.42	99871.35
आरईएस	62053.75	63260.84**
<b>सकल योग</b>	<b>332756.58</b>	<b>867861.00</b>

टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से उत्पादन

\* अंतिम

\*\* 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार।

अप्रैल-नवंबर, 2017\* के दौरान देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

ऊर्जा (मिलियन यूनिट)				व्यस्ततम (मेगावाट)			
ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	प्राप्त नहीं की गई मांग	
		एमयू	%			मेगावाट	%
815,348	809,493	5,855	0.7	164,066	160,752	3,314	2.0

\*अंतिम

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1749

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

1749. श्री परवेज़ हाशमी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों में कितने बिजलीघर स्थापित किये गए हैं, कोयला, गैस, पानी तथा परमाणु बिजली संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वर्तमान में तथा विगत तीन वर्षों में बिजली की खपत और उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) पिछले 3 वर्षों (2014-15 से 2016-17 तक) के दौरान 83,009 मेगावाट की उत्पादन क्षमता, जिसमें परंपरागत स्रोतों से 60,753 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से 22,256 मेगावाट शामिल है, जोड़ी गई है।
- (ii) पिछले 3 वर्षों (2014-15 से 2016-17 तक) के दौरान 76,515 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें तथा 2,10,219 एमवीए रूपांतरण क्षमता पूरी कर ली गई है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी में सुविधा हुई है। अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता दिनांक 31.03.2014 को 37,950 मेगावाट से 30.11.2017 तक 78,050 मेगावाट तक दोगुनी हो गई है। इसके कारण, बिजली को अब देश में एक जगह से दूसरी जगह तक निर्बाध रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है।
- (iii) भारत सरकार उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने के लिए उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि फीडर्स के पृथक्करण के लिए स्कीमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और सौभाग्य आदि के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है।
- (iv) भारत सरकार ने उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय तथा वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) : पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान चालू की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए उत्पादन और आपूर्ति की गई वैद्युत ऊर्जा का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

राज्य सभा में दिनांक 02.01.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**2014-15 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची**

	परियोजना का नाम	प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
	<b>ताप विद्युत परियोजनाएं</b>		
1	पैनमपुरम टीपीपी यू-1	कोयला	660
2	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस यू 1,2	कोयला	1600
3	सिम्हापुरी फेज-II यू-4	कोयला	150
4	मुजफ्फरपुर यू-3	कोयला	195
5	बाढ़ एसटीपीपी स्टे.-II यू-5	कोयला	660
6	स्वास्तिक कोरबा यू-1	कोयला	25
7	अकलतारा (नैतारा) टीपीपी	कोयला	600
8	तमनार टीपीपी यू-3,4	कोयला	1200
9	राईखेड़ा टीपीपी यू-1	कोयला	685
10	सलोरा टीपीपी यू-1	कोयला	135
11	बड़ादरहा यू-2	कोयला	600
12	सिक्का टीपीपी एक्सटें. यू-3	कोयला	250
13	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी माइयूल-3	गैस	400
14	धुवरन सीसीपीपी-III	गैस	376.1
15	धारीवाल टीपीपी यू-2	कोयला	300
16	तिरौरा टीपीपी, फेज-II यूनिट-3	कोयला	660
17	अमरावती टीपीपी फेज-1 यू-3,4,5	कोयला	810
18	चंद्रपुर यू-8	कोयला	500
19	कोराडी टीपीएस एक्सटें. यू-8	कोयला	660
20	सासन यूएमपीपी यू-3,5,6	कोयला	1980
21	निगरी टीपीपी यू-1,2	कोयला	1320
22	श्री सिंघाजी टीपीपी यू-2	कोयला	600
23	देरांग टीपीपी यू-1,2	कोयला	1200
24	तलवंडी साबो टीपीपी यू-1	कोयला	660
25	राजपुरा टीपीपी यू-2	कोयला	700
26	रामगढ़ एसटी	गैस	50
27	कालीसिंध टीपीपी यू-1	कोयला	600
28	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-4	कोयला	250
29	मुत्तियारा टीपीपी यू-1	कोयला	600
30	तूतीकोरिन जेवी यू-1	कोयला	500
31	एनएलसी टीपीपी-2 एक्सपें. यू-2	कोयला	250
32	अगरतला सीसीपीपी एसटी-1	गैस	25.5
33	मोनार्चक सीसीपीपी	गैस	65.4
34	त्रिपुरा सीसीजीटी, बीएलके-2	गैस	363.3
35	हल्दिया टीपीपी यू-1,2	कोयला	600
36	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-1	कोयला	600
	<b>कुल (थर्मल)</b>		<b>20830.3</b>
	<b>जल विद्युत परियोजनाएं</b>		
37	पारबती-III एचईपी यू-4	हाइड्रो	130
38	रामपुर एचईपी यू-3,4,6	हाइड्रो	206.01
39	कोलडैम एचईपी यू-1,2	हाइड्रो	400
	<b>कुल (हाइड्रो)</b>		<b>736.01</b>
	<b>न्यूक्लियर परियोजनाएं</b>		
40	कुडनकुलम यू-1	न्यूक्लियर	1000
	<b>कुल (न्यूक्लियर)</b>		<b>1000</b>
	<b>सकल योग (थर्मल+हाइड्रो+न्यूक्लियर)</b>		<b>22566.3</b>

**2015-16 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची**

	परियोजना का नाम	प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
	<b>ताप विद्युत परियोजनाएं</b>		
1	अनूपपुर टीपीपी यू-1,2	कोयला	1200
2	बंदाखार टीपीपी यू-1	कोयला	300
3	बाल्को टीपीपी यू-1,2	कोयला	600
4	अनपरा डी टीपीपी यू-6,7	कोयला	1000
5	कालीसिंधी एसटीपीपी यू-2	कोयला	600
6	बोंगाईगांव टीपीपी यू-1	कोयला	250
7	तूतीकोरिन जेवी यू-2	कोयला	500
8	कोंडापल्ली स्टे.-III-ए (यू-1,2)	गैस	742
9	विंध्याचल एसटीपीपी स्टे.-V यू-13	कोयला	500
10	पैनमपुरम टीपीपी यू-2	कोयला	660
11	जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लि., ब्लॉक-1,2	गैस	768
12	सिक्का टीपीएस एक्सटें. यू-4	कोयला	250
13	उचपिंडा टीपीपी, यू-1,2	कोयला	720
14	तलवंडी साबो यू-2,3	कोयला	1320
15	आईटीपीसीएल टीपीपी यूनिट-1	कोयला	600
16	काकतिया टीपीपी स्टे.-II यू-1	कोयला	600
17	सागरदिघी टीपीपी एक्सटें. यू-3	कोयला	500
18	प्रयागराज (बारा) टीपीपी यू-1	कोयला	660
19	विजाग टीपीपी यू-1,2	कोयला	1040
20	त्रिपुरा सीसीजीटी मोनार्चक	गैस	35.6
21	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-1 यू-2	कोयला	600
22	मुतियारा टीपीपी ,यू-2	कोयला	600
23	ललितपुर टीपीपी यू-1,2	कोयला	1320
24	गोइंदवाल साहिब टीपीपी यू-1,2	कोयला	540
25	इंड बराथ एनर्जी प्रा. लि. टीपीपी यू1	कोयला	350
26	नबी नगर टीपीपी एक्सपें. यू-1	कोयला	250
27	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें. यू-1	कोयला	500
28	मोदा एसटीपीपी-II यू-3	कोयला	660
29	बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III यू-3	कोयला	700
30	चंद्रपुर टीपीएस एक्सटें. यू-9	कोयला	500
31	कोराडी टीपीएस एक्सपें. यू-9	कोयला	660
32	सिंगरैनी टीपीपी यू-1	कोयला	600
33	येरमारस टीपीपी यू-1	कोयला	800
34	पार्ली टीपीएस यू-8	कोयला	250
35	राईखेड़ा टीपीपी यू-2	कोयला	685
36	सिओनी टीपीपी फेज-1 यू-1	कोयला	600
	<b>कुल (थर्मल)</b>		<b>22460.6</b>
	<b>जल विद्युत परियोजनाएं</b>		
37	कोलडैम यू-3,4	हाइड्रो	400
38	श्रीनगर यू-1,2,3,4	हाइड्रो	330
39	बगलीहार स्टेज-II यू-1,2	हाइड्रो	300
40	जोरथांग लूप यू-1,2	हाइड्रो	96
41	लोअर जुराला यू-1,2,3,4	हाइड्रो	160
42	बगलीहार स्टेज-II यू-3	हाइड्रो	150
43	तीस्ता लो डैम स्टेज-IV यू-1,2	हाइड्रो	80
	<b>कुल (हाइड्रो)</b>		<b>1516</b>
	<b>सकल योग (थर्मल+हाइड्रो)</b>		<b>23976.6</b>

**2016-17 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची**

	परियोजना का नाम	प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
	<b>ताप विद्युत परियोजनाएं</b>		
1	ललितपुर एसटीपीपी यू-3	कोयला	660
2	कुड्डालोर आईटीपीसीएल टीपीपी यू-2	कोयला	600
3	भावनगर लिग्नाइट बेस्ड टीपीपी यू-1, 2	कोयला	500
4	गामा सीसीपीपी, ब्लॉक-1	गैस	225
5	मनगांव सीसीपीपी	गैस	388
6	मारवा टीपीपी यू-2	कोयला	500
7	नवापारा यू-1	कोयला	300
8	अगरतला गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट एसटी-1	गैस	25.5
9	बारा टीपीपी यू-2	कोयला	660
10	सेम्बकॉर्प गायत्री प्रा. लि. यू-1, 2	कोयला	1320
11	रतीजा टीपीपी यू-2	कोयला	50
12	काशीपुर सीसीपीपी ब्लॉक-1	गैस	225
13	सिंगरैनी यू-2	कोयला	600
14	सागरदिघी टीपीएस-II यू-4	कोयला	500
15	कोराडी टीपीपी यू-10	कोयला	660
16	कुडगी टीपीपी यू-1, 2	कोयला	1600
17	नामरूप सीसीजीटी	गैस	62.25
18	नासिक टीपीपी फेज-1, यू-2	कोयला	270
19	मौदा एसटीपीपी-II यू-4	कोयला	660
20	बोंगाईगांव टीपीपी यू-2	कोयला	250
21	कांती टीपीएस यू-2	कोयला	195
22	येरमारस टीपीपी यू-2	कोयला	800
23	ऊंचाहार टीपीएस स्टे.-IV यू-6	कोयला	500
	<b>कुल (थर्मल)</b>		<b>11550.75</b>
	<b>जल विद्युत परियोजनाएं</b>		
24	तीस्ता लो डैम-IV यू-3, 4	हाइड्रो	80
25	लोअर जुराला यू-5, 6	हाइड्रो	80
26	कशांग एचईपी-II व III यू-1, 2	हाइड्रो	130
27	पुलीचिंताला यू-1	हाइड्रो	30
28	तीस्ता-III यू-1,2,3,4,5,6	हाइड्रो	1200
29	कशांग एचईपी-II व III यू-2	हाइड्रो	65
30	नागार्जुन सागर टीआर यू-1, 2	हाइड्रो	50
31	चंजू-1 यू-1,2	हाइड्रो	24
	<b>कुल (हाइड्रो)</b>		<b>1659</b>
	<b>न्यूक्लियर परियोजनाएं</b>		
32	कुडनकुलम यू-2	न्यूक्लियर	1000
	<b>सकल योग (थर्मल + हाइड्रो + न्यूक्लियर)</b>		<b>14209.75</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 02.01.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलियन यूनिट (एमयू) में अखिल भारतीय उत्पादन:

	विद्युत उत्पादन (एमयू में)		
	2014-15	2015-16	2016-17
पारंपरिक स्रोत	1048672	1107822.28	1160140.94
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	61784.93	65780.85	81548.21
कुल	1110456.93	1173603.13	1241689.15

\* नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन आंकड़े अनंतिम हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलियन यूनिट (एमयू) में आपूर्ति की गई अखिल भारतीय वैद्युत ऊर्जा:

वर्ष	आपूर्ति की गई विद्युत (एमयू में)
2014-15	1,030,785
2015-16	1,090,850
2016-17	1,135,332

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1750

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

घाटा रहित विद्युत वितरण कंपनियां

1750. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वर्ष 2019 तक प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी के संचालन को घाटा रहित बनाने का विचार रखती है;
- (ख) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) प्रक्रिया के तहत कार्य करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;
- (ग) उदय के अन्तर्गत अन्य राज्यों को लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमस) द्वारा कर्ज वित्तपोषण का प्रतिशत कितना है और विद्युत क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के लिए उनकी सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने के लिए मार्च, 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) : अब तक सभी सत्ताईस (27) राज्यों और चार (04) संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और पुडुच्चेरी ने उदय के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) : प्रचालनात्मक दक्षता के लिए यह स्कीम सभी शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खुली है। तथापि, राजस्व संबंधी उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमा के बाहर ऋण की छूट सीमा 31.03.2017 को समाप्त हो गई है।

(घ) : उदय में यह प्रावधान है कि 30 सितंबर, 2015 के अनुसार डिस्कॉमों के लेखों में शेष 25% ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण या बांडों के रूप में परिवर्तित किए जाएंगे अथवा न्यूनतम ब्याज दरों पर स्टेट द्वारा गारंटीड डिस्कॉम बांडों के रूप में जारी किए जाएंगे। डिस्कॉमों के शेष ऋण पर इस ब्याज की न्यूनतम दर में कमी के परिणामस्वरूप डिस्कॉमों की ब्याज लागत तथा आपूर्ति की औसत लागत में कमी आएगी।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1751

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

1751. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रीय सरकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं तथा उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) चल रही परियोजनाओं तथा अभी आरंभ होने वाली परियोजनाओं का उनकी क्षमता तथा उत्पादन लागत सहित ब्यौरा क्या है और उनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश में 8 चालू की गई तथा 3 निर्माणाधीन केंद्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजना हैं जिनकी संस्थापित क्षमता क्रमशः 10,743.14 मेगावाट तथा 4,620 मेगावाट है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 02.01.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

उत्तर प्रदेश में चालू की गई केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संगठन	ईंधन	क्षमता (मेगावाट)
1	नरौरा ए.पी.एस.	एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर	440.00
2	औरैया सीसीपीपी	एनटीपीसी	थर्मल	663.36
3	दादरी सीसीपीपी	एनटीपीसी	थर्मल	829.78
4	दादरी (एनसीटीपीपी)	एनटीपीसी	थर्मल	1820.00
5	रिहंद एसटीपीएस	एनटीपीसी	थर्मल	3000.00
6	सिंगरौली एसटीपीएस	एनटीपीसी	थर्मल	2000.00
7	टांडा टीपीएस	एनटीपीसी	थर्मल	440.00
8	ऊंचाहार टीपीएस	एनटीपीसी	थर्मल	1550.00
			कुल	10743.14

एनटीपीसी: नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

एनपीसीआईएल: न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 02.01.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

\*\*\*\*\*

**उत्तर प्रदेश में चल रही केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा**

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संगठन	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुसूची	लागत (करोड़ रुपए में)
<b>क.</b>	<b>ताप विद्युत परियोजनाएं</b>					
1	मेजा सुपर थर्मल पावर प्लांट	एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660	जनवरी-18	10821
			यू-2	660	जनवरी-19	
2	घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट	एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660	नवंबर-20	17238
			यू-2	660	मई-21	
			यू-3	660	सितंबर-21	
3	टांडा थर्मल पावर प्लांट	एनटीपीसी	यू-1	660	दिसंबर-18	9189
			यू-2	660	जनवरी-19	
<b>ख.</b>	<b>जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक)</b>					
	<b>शून्य</b>					
<b>ग.</b>	<b>न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाएं</b>					
	<b>शून्य</b>					
	<b>कुल क्षमता : 4620 मेगावाट</b>					

एनटीपीसी: नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

एनएलसी: नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

यूपीआरवीयूएनएल: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1752  
जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

किसानों को मुफ्त बिजली

1752. श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में ताप/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किसानों से अधिगृहीत भूमि के लिए उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसानों सहित सभी उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार और सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयत्नों को बढ़ावा देती है। राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 और प्रशुल्क नीति के खण्ड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार, उस सीमा तक जहां तक वह उचित समझे किसानों सहित किसी भी वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क विद्युत देने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) : मौजूदा नीति के अनुसार, किसानों सहित उन भू-स्वामियों, जिनकी भूमि ताप/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गई है, को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1753

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र का पुनरुद्धार

1753. श्री संजय सेठ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक गैस आधारित विद्युत संयंत्र ठप पड़े हैं;
- (ख) यदि हां, तो उन पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उन संयंत्रों को कोई राजसहायता तथा कर रियायत प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार गैस ईंधन की खपत बढ़ाने तथा राष्ट्र को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 25 गीगावाट की क्षमता वाले ठप पड़े गैस आधारित संयंत्र के पुनरुद्धार की योजना बना रही है; और
- (ङ) इस मामले में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में घरेलू गैस के उपलब्ध न होने के कारण कुल 14305 मेगावाट गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता ठप पड़ी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने सूचित किया है कि वर्तमान उत्पादन स्तर के अनुसार विद्युत क्षेत्र को घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है तथा विद्युत क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में केवल तभी सुधार हो सकता है जब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार भविष्य में उत्पादन स्तर में वृद्धि हो।

(ग) से (ङ) : सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) तथा प्राकृतिक गैस (एनजी) के आयात के लिए शून्य सीमा शुल्क की सुविधा प्रदान की है, यदि इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने अथवा ग्रिड के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के व्यापार में इसका उपयोग करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की धारा 36) की धारा 2(28) में परिभाषित किए गए अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाता हो। गैस आधारित विद्युत संयंत्र एलएनजी का आयात करने, विद्युत का उत्पादन करने तथा इसे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए स्वतंत्र है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1754

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 201 को दिया जाना है ।

पर्यावरण पर एलईडी बल्बों का प्रतिकूल प्रभाव

1754. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 76 प्रतिशत भारतीय एलईडी बल्ब सुरक्षा परीक्षण में असफल हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कराए गए सर्वेक्षण से सिद्ध हुआ है कि व्यापक स्तर पर एलईडी बल्बों का प्रयोग पर्यावरण के लिए खतरा है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : एलईडी उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण एवं प्रवर्तन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा किया जाता है। बीआईएस ने सूचित किया है कि नीलसन मार्केट रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 200 इलेक्ट्रिकल रिटेल आउटलेटों पर 76 प्रतिशत से अधिक एलईडी बल्बों के ब्रांड उपभोक्ता सुरक्षा मानकों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं।

एमईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2012 में अधिसूचित वस्तुओं के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों को अधिदेशित करते हुए "इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गुड्स (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 (सीआरओ) अधिसूचित किया है। सामान्य सेवाओं तथा निर्धारित सामान्य उद्देश्य एलईडी ल्यूमिनरियों के लिए सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैंपों को सीआरओ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, पंजीकरण बीआईएस द्वारा लागू भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद की जांच के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात किया जाता है। एमईआईटीवाई बीआईएस द्वारा पंजीकृत अधिसूचित वस्तुओं की निगरानी का निष्पादन कर रहा है और अनुपालना न करने वाले मामलों को बीआईएस अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए बीआईएस को भेजा जाता है। एमईआईटीवाई ने सूचित किया है कि एलईडी उत्पाद श्रेणी के लिए बीआईएस द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण का लगभग 5 प्रतिशत अधिसूचित भारतीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) स्कीम के अंतर्गत पूरे देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं को वितरित किए गए एलईडी बल्ब तीन स्तरीय (बोली स्तर, वितरण स्तर तथा वितरण के बाद का स्तर) गुणवत्ता नियंत्रण जांच से गुजरते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों का ही वितरण किया जाए। सख्त गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के परिणामस्वरूप उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्बों की विफलता दर केवल 0.48% है; सभी खराब बल्बों को उपभोक्ताओं के लिए ईईएसएल द्वारा निःशुल्क बदला जाता है। ईईएसएल के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में अन्य बाजार प्लेयर भी एलईडी बल्बों का विक्रय कर रहे हैं।

(ग) : अब तक, एलईडी बल्बों के व्यापक पैमाने पर उपयोग के कारण पर्यावरणीय जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार के तत्वावधान में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1755

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।

बिजली से वंचित परिवारों के लिए बिजली

1755. श्री मोती लाल वोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली से वंचित परिवारों को बिजली पहुंचाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली से वंचित परिवारों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ राज्य बहुत पीछे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित लक्ष्य समय से प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) बिजली से वंचित परिवारों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने देश में यूनिवर्सल हाऊसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की है। इस स्कीम में देशभर में सभी शेष ग्रामीण गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तरप्रदेश इत्यादि जैसे राज्यों में गैर-विद्युतीकृत घरों की एक बड़ी संख्या है तथा इस स्कीम से राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को ऐसे घरों को विद्युतीकृत करने में सहायता मिलेगी।

इस स्कीम के अन्तर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 मार्च, 2019 तक घरों के विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करना अपेक्षित है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1756

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

बीईई के लिए पीएटी योजना

1756. डॉ. कनवर दीप सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के प्रथम कार्यान्वयन चक्र के परिणाम सामने आए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह अपेक्षा के अनुरूप था;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : निष्पादन प्राप्त तथा व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत, पीएटी चक्र-1 मार्च, 2015 में पूरा कर लिया गया था। इस चक्र में, 8 क्षेत्रों (एल्युमिनियम, सीमेंट, क्षारीय लवण, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, लुगदी तथा कागज, ताप विद्युत एवं कपड़ा उद्योग) से जुड़े 478 निर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) को अनिवार्य विशिष्ट ऊर्जा खपत कमी लक्ष्यों (अर्थात् उत्पादन का प्रति यूनिट ऊर्जा उपयोग) के साथ अधिसूचित किया गया था। 6.68 मिलियन टन तेल के समतुल्य ये संचयी ऊर्जा खपत लक्ष्य 3 वर्षों के चक्र के दौरान हासिल किए जाने थे। पीएटी चक्र-1 के अंत में निगरानी तथा सत्यापन (एमएंडवी), जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों द्वारा अधिकृत और सूची में शामिल किया गया था, यह मूल्यांकन किया गया है कि इन निर्दिष्ट उपभोक्ताओं ने सामूहिक रूप से लगभग 8.67 एमटीओई की ऊर्जा बचत हासिल किया था। पीएटी चक्र-1 के अंत में शुरुआत में दिए गए ऊर्जा बचत लक्ष्य तथा उपलब्धियों का क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

इस योजना के परिणाम अपेक्षाओं से बढ़ गए हैं क्योंकि 8.67 एमटीओई की प्राप्त ऊर्जा बचत 6.68 एमटीओई के दिए गए ऊर्जा बचत लक्ष्यों से लगभग 30% अधिक है।

\*\*\*\*\*



अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 02.01.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1756 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	क्षेत्र	अभिचिन्हित डीसी की संख्या	वार्षिक ऊर्जा खपत (एमटीओई)	ऊर्जा कमी का लक्ष्य (एमटीओई)	वास्तविक बचत (एमटीओई)
1	एल्युमीनियम	10	7.71	0.46	0.73
2	सीमेंट	85	15.00	0.81	1.44
3	क्लोर - अल्काली	22	0.88	0.05	0.13
4	उर्वरक	29	8.20	0.48	0.83
5	लौह एवं इस्पात	67	25.30	1.48	2.10
6	कागज एवं लुग्दी	31	2.09	0.12	0.26
7	वस्त्र	90	1.20	0.07	0.12
8	ताप विद्युत संयंत्र	144	105.00	3.21	3.06
	<b>कुल</b>	<b>478</b>	<b>165.38</b>	<b>6.68</b>	<b>8.67</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1757  
जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

सौभाग्य योजना का शुभारंभ

1757. श्री के. रहमान खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आरंभ हो चुकी है;

(ख) किन-किन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता आधार पर तथा अन्यथा इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार इस योजना के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत सरकार ने देश में सार्वभौम घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए सितंबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की। इस स्कीम में पूरे देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों के अंतिम छोर पर रहने वाले गैर-विद्युतीकृत गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

(ग) : सौभाग्य के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31 मार्च, 2019 तक घरों के विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करना अपेक्षित है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1758  
जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

राजसहायता प्राप्त दरों पर एलईडी बल्बों की आपूर्ति

1758. श्री दिलीप कुमार तिर्की:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजसहायता प्राप्त दरों पर उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करने की केन्द्र सरकार की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इस प्रयोजनार्थ ऑनलाइन बिक्री सुविधा भी शुरू की जाएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषण की कोई योजना नहीं है। तथापि, एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी ने देश भर में घरेलू उपभोक्ताओं को सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) के अंतर्गत एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है।

उजाला कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और भारत सरकार से बिना किसी बजटीय आबंटन के चलता है। ईईएसएल देशव्यापी मांग और मौजूदा फुटकर बाजार की तुलना में कम दरों पर घरेलू उपभोक्ताओं को आगे वितरण के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी बल्ब की खरीद करती है।

(ग) : ईईएसएल अपने वितरण चैनल पार्टनर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), राजस्थान सरकार के माध्यम से केवल राजस्थान में ऑनलाइन एलईडी बल्बों का वितरण कर रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1759

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के जल-विद्युत उपक्रमों में वेतन संबंधी विसंगतियां

1759. श्रीमती विपलव ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नामतः टीएचडीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी और एनईईपीसीओ के कार्यकारी अधिकारियों (एक्जेक्यूटिक्स) (ई-1 और ई-2 ग्रेड) के वेतनमान 01.01.1997 से उनके पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर्स) और कामगारों (वर्कमैन) के वेतनमान से कम हैं जिसके परिणामस्वरूप वेतनमान संबंधी विसंगतियां आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : यद्यपि सीपीएसयू में कार्यपालकों के वेतनमान दिनांक 25.06.1999 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं फिर भी सुपरवाइजर्स और वर्कमैन श्रेणियों के वेतनमान दिनांक 14.01.1999 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित सीपीएसयू के प्रबंधन द्वारा बातचीत करके निर्धारित किए जाते हैं। वेतनमानों में विसंगति है जो दिनांक 14.01.1999 के डीपीई दिशा-निर्देशों, की अनुपालन नहीं किए जाने के कारण उत्पन्न हुई, जिसमें यह प्रावधान है कि बातचीत द्वारा निर्धारित किए गए वेतनमान अधिकारियों/कार्यपालकों के वेतन संशोधन से अंतर्विरोध न हो और प्रशासनिक मंत्रालय तथा डीपीई की पुष्टि के पश्चात कार्यान्वित किए जाएंगे और इस प्रकार के संशोधन अनुमोदित प्राचलों के तहत हों।

सभी संबंधित सीपीएसयू को दिनांक 30.06.2017 के आदेश के माध्यम से डीपीई के विद्यमान दिशा-निर्देशों/अनुदेशों तथा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों को निर्धारित करते समय समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों की अनुपालना करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1760

जिसका उत्तर 02 जनवरी, 2018 को दिया जाना है।

देश में बिजली दर

1760. श्री ए.के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश में बिजली की दर में धीरे-धीरे प्रति यूनिट 50 पैसे से 1.25 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि रेट्रोफिटिंग लागत मूल्य 1-2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है, जबकि कोयला आधारित नए संयंत्र पर लागत 5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि इतनी ज्यादा लागत के कारण विद्युत उत्पादक रेट्रोफिटिंग करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि खर्च कौन वहन करेगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित पर्यावरणीय मानक जारी किए हैं। संशोधित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की रेट्रोफिटिंग पर अनुमानित पूंजी व्यय तथा बढ़े हुए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) सहित पहले वर्ष के प्रशुल्क पर अनुमानित प्रभाव इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	उपकरण	अनुमानित पूंजीगत व्यय	प्रत्येक वर्ष के प्रशुल्क पर अनुमानित प्रभाव (अधिक ओएंडएम व्यय सहित)
1	सल्फर ऑक्साइड (SO <sub>x</sub> ) नियंत्रण के लिए एफजीडी प्रणाली की स्थापना	0.88 करोड़/मेगावाट से 1.28 करोड़/मेगावाट	62 पैसे/किलोवाट घंटा से 93 पैसे/किलोवाट घंटा
2	एसपीएम नियंत्रण के लिए ईएसपी का उन्नयन		
3	नाइट्रस ऑक्साइड (NO <sub>x</sub> ) नियंत्रण		
4	खुले चक्र से बंद चक्र तक परिवर्तन		

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत यूटिलिटीयों के परामर्श से रेट्रोफिटिंग के लिए संयंत्रों की बंदी के कारण विद्युत आपूर्ति में न्यूनतम अवरोध सुनिश्चित करने के लिए नए पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन हेतु एक चरणबद्ध योजना तैयार की है।

\*\*\*\*\*